प्रेस नोट थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक - 21.08.2026

"थाना तिलहर पुलिस व एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता"

थाना तिलहर पुलिस व एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की संयुक्त टीम द्वारा कुल 2.790 कि0ग्रा0 अफीम (अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 7.50 लाख रूपये), 300 ग्राम एल्प्राजोलम(अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 06 लाख रूपये) सहित 02 मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तिलहर के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियो की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान थाना तिलहर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.08.2026 को थाना तिलहर पुलिस एवं एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की संयुक्त टीम द्वारा शांति/कानून व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर सरयू पुलिया से शाहजहाँपुर की ओर सर्विस रोड पर आम के पेड़ के पास से अभियुक्त वैजनाथ पुत्र रामदयाल निवासी मो0 खनपुरा, सलेमाबाद पट्टी, कस्बा व थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर एवं भूपेन्द्र सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह निवासी ग्राम कितुकापुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 2.790 किलोग्राम अफीम, 300 ग्राम एल्प्राजोलम, ₹1,090 नकद एवं 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 442/2026 धारा 8/18/22/29 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. वैजनाथ पुत्र रामदयाल उम्र लगभग 68 वर्ष नि0मो0 खनपुरा, सलेमाबाद पट्टी कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष नि0ग्रा0 कितुकापुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 - 442/2026 धारा 8/18/22/29 NDPS ACT थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास वैजनाथ-

मु0अ0सं0 - 83/2026 धारा 8/18 NDPS ACT थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय, स्थान -

दिनांक 20.08.2026 को समय 18.05 बजे, सरयू पुलिया से शाहजहाँपुर की ओर सर्विस रोड से करीब 200 मीटर आम के पेड के पास से।

बरामदगी का विवरणः-

1. कुल 2.790 किलोग्राम अफीम।
2. 300 ग्राम एल्प्राजोलम।
3. 02 अदद मोबाइल फोन।
4. कुल ₹1,090/- नकद धनराशि।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि वह मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध बिक्री में संलिप्त है। वह पूर्व में अभियुक्त वैजनाथ के पुत्र सर्वेश से अफीम खरीदकर विभिन्न स्थानों पर फुटकर में सप्लाई करता था। सर्वेश के जेल में होने के उपरान्त वह अब वैजनाथ से अफीम प्राप्त कर उसकी विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करता था। अभियुक्त के अनुसार वैजनाथ द्वारा अफीम झारखण्ड से मंगवाकर बिक्री की जाती थी। अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि वह अफीम की खरीद के लिए कुछ धनराशि ऑनलाइन अग्रिम रूप से देता था तथा शेष धनराशि माल की बिक्री के उपरान्त नकद में चुकाता था। दिनांक 20.08.2026 को भी वह सुरेश चन्द्र पुत्र फौरन सिंह निवासी ग्राम नगला आम अकोला, थाना किरावली, जनपद आगरा के लिए वैजनाथ से अफीम एवं नशीला पाउडर लेने आया था। उक्त मादक पदार्थ सुरेश चन्द्र तक पहुंचाने के एवज में उसे ₹5,000/- प्राप्त होने थे। पूछताछ एवं बरामदगी से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, परिवहन एवं अवैध सप्लाई के नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में सुरेश चन्द्र को भी अभियुक्त नामित किया गया है तथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. प्र0नि0 प्रभाष चन्द्र थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 अमित कुमार एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली।
3. उ0नि0 गौरव कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।
4. हे0का0 अशोक कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
5. मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली।
6. मु0आ0 शिवओम पाठक एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली।
7. मु0आ0 अरुण कुमार एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली।